[21/12/2021]

प्रश्न सं. [क्र. 765]

परिशिष्ट

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक - 765
माननीय सदस्य श्री उमंग सिंघार

कार्यालय–कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग मनावर, जिला धार (म.प्र.)

//तकनीकी स्वीकृति आदेश//

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फाइनेनशियल पावर्स 1995 भाग 1 में वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3/1/2003/नियम/चार दिनांक 31.01.2006 द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन क्रमांक/ 7244 /22 / वि–10 /ग्रायांसे/2016 भोपाल दिनांक 09.12.2016 को सौंपे गये अधिकारों का उपयोग करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी तथा जिला द्वारा अद्यतन संशोधित एवं सिक्योर एस.ओ.आर.दिनांक 09.07.2019 के आधार पर तैयार प्राक्कलन एवं मानकों के आधार पर नीचे दर्शाये अनुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कार्य का विवरण भाग – 1

कार्य का नाम	कार्य स्थल का विवरण					सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का क्रमांक	तक.स्वी. क्र.	दिनांक	तक.स्वी. की राशि (रू. लाख में)
	जनपद	ग्राम पंचायत	ग्राम	पटवारी हल्का नं. एवं खसरा	भूमि का स्वामित्व (शा./निजी)				
नहर विस्तार कार्य खेड़ीबुजुर्ग	गंधवानी	खेड़ीबुजुर्ग	खेड़ीबुजुर्ग		शासकीय	738	534	31-12-2020	34.75

स्वीकृत राशि विवरण भाग – 2

तकनीकी स्वीकृति की राशि का विवरण (राशि रू.लाख में)					सृजित होने वाले मानव दिवस	मजदूरी एवं सामग्री पर व्यय का अनुपात	
अकुशल श्रम पर व्यय	कुशल/अर्द्ध कुशल पर व्यय	सामग्री पर व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय		मजदूरी	सामग्री
32.94	0.00	0.00	1.81	34.75	17335	100%	0%

1. इस कार्य की उपयोगिता जल संवर्धन एवं श्रमिकों को रोजगार के लिए है।
2. प्रमाणित किया जाता है, कि यह नवीन/जीर्णोद्धार का कार्य है और तकनीकी तथा जनहित एवं पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से औचित्यपूर्ण है।
3. कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र में दर्शित तकनीकी मापदण्डो के अनुसार कराया जावें। कार्य के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसी प्रकार से परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम तकनीकी अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
4. ग्रा0या0सेवा की 18.08.15 से लागु दर अनुसूची में जिन कार्यो मदों की दरों का समावेश नही है लेकिन इस प्राक्कलन में उनका उल्लेख है तो केवल मार्गदर्शन के लिए एसी मदों पर व्यय करने के पूर्व क्रय अथवा कार्य सम्पादन की सामान्य प्रक्रियाओं का पालन किया जावें।
5. जिन कार्य मदों के लिए प्राक्कलन में एक मुश्त (लम–सम) राशि का प्रावधान किया गया वह उस कार्य मद पर संभावित अधिकतम व्यय है। एसी कार्य मदों के लिए विस्तृत विवरण तैयार किया जाकर पृथक से स्वीकृति ली जाना चाहिए।
6. स्वीकृत प्राक्कलन में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर संशोधित तकनीकी स्वीकृति कार्य करवाये जाने के पूर्व सक्षम अधिकारी से ली जाना आवश्यक है।
7. प्राक्कलन में दर्शित "लीड अथवा लिफ्ट" को भुगतान के लिए आधार न माना जावे। वास्तविक लीड अथवा लिफ्ट का ही भुगतान किया जावे। किन्तु यह ध्यान में रखा जावे कि यह भुगतान स्वीकृत प्राक्कलन में प्रावधानिक सीमा से किसी भी स्थिति में अधिक न हो।

कार्यपालन यंत्री,
ग्रा.यां.सेवा संभाग मनावर
जिला–धार (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/ 5134 /तक.स्वी./ग्रा.यां.से./2020 मनावर, दिनांक 31.12.2020

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर, धार जिला–धार (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धार जिला–धार (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अनुविभागीय अधिकरी ग्रा.यां.सेवा उपसंभाग गंधवानी जिला–धार (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गंधवानी जिला–धार (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. सहायक यंत्री, जनपद पंचायत गंधवानी जिला–धार (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री,
ग्रा.यां.सेवा संभाग मनावर
जिला–धार (म.प्र.)

Laveena
अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय,भोपाल